

संख्या कार्मिक(प्रा0नि0- 1)7(जी)6-1/2019  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
कार्मिक विभाग(प्रा0एवं नि0- 1)

प्रेषक

प्रधान सचिव (सचिवालय प्रशासन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. मै0 सूर्या इन्डसट्रीज, 139 इन्डसट्रीयल इस्टेट  
मैहतपुर ऊना, जिला ऊना हि0प्र0.
2. मै0 पोशाक, दुकान नं0-6,  
इन्दर पलेस संजौली शिमला-6.
3. प्रबन्धक,  
हिमाचल खादी बोर्ड, 13, दी माल शिमला-1
4. मै0 कला निकेतन  
प्रोस्पेक्ट लॉज, लोअर जाखू शिमला-171001.
5. प्रबन्धक निदेशक,  
हिमाचल प्रदेश राज्य  
हस्त शिल्प हथकरघा निगम, बी-3  
एस0डी0ए0 कॉपलैक्स कुसुम्पटी, शिमला-9
6. हिमाचल इम्पोरियम,  
दी माल शिमला-171001
7. मै0 जगदीश बूट हाउस, लोअर बाजार शिमला-1
8. मै0 ब्राक्टा ब्रदरज शांडिल निवास कसुम्पटी शिमला-9
9. मै0 अतूल लैदर वर्कस, सैक्टर-6 कोसरियां बिलासपुर हि0प्र0
10. मै0 फैशन प्वाइन्ट दुकान नं0-1, संजौली शिमला-6
11. मै0 पोशाक, दुकान नं0-6 इन्दर पैलेस, संजौली शिमला-6
12. मै0 जी0 आर0 फुटवीयर्ज, छोटा शिमला-1
13. मै0 राजपाल ब्रदरज लोअर बाजार शिमला-1  
दिनांक शिमला-171002

22/02/2022


विषय:-

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिवरी सम्बन्धी वस्तुओं को क्रय करने के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दी सम्बन्धी वस्तुओं के क्रय एवं उनके मूल्य निर्धारण हेतु दर संविदा का निर्धारण किया जाना है जिसकी निविदा की सूचना प्रति संलग्न की जा रही है। अतः यदि आप वर्दी वस्तुओं के लिए निविदा देने के इच्छुक हों तो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विज्ञापनानुसार अपनी फर्म/इक्काई की दरें तथा वर्दी वस्तुओं के सैम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीया

  
(कान्ता शर्मा)

अवर सचिव (प्राप्ति एवं निर्गम-1)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

### पोशाक निविदा सूचना


हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए निम्न वर्दी वस्तुओं के चयन/क्रय हेतु हिमाचल प्रदेश खादी बोर्ड, हिमाचल प्रदेश हि0प्र0 हस्तशिल्प हथकरघा निगम, हिमाचल इम्पौरियम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य की अन्य औद्योगिक इक्काईयों तथा प्राधिकृत विक्रेताओं से मोहर बन्द लिफाफे में निम्न वस्तुओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्रम सं०	मद का नाम	
1.	बूलन सर्ज (गर्म वर्दी का कपड़ा)	रंग सिलवर ग्रे डार्क
2.	टैरीकोट का कपड़ा (पुरुष)	रंग नीला सफेद लाईनदार
3.	टैरीकोट का कपड़ा (महिला)	रंग काला (महिला सलवार)
4.	टैरीकोट का कपड़ा (महिला)	रंग महरून (ठण्डी वर्दी)
5.	जूते (महिला व पुरुष)	अपर क्रोम रंग काला रबड़ सोल
6.	जर्सी (पुरुष)	आलबूल (रंग महरून)
7.	जर्सी महिला	आलबूल (रंग नीला)
8.	कम्बल	आलबूल गहरे रंग में चैक शैड
9.	हिमाचली टोपी	आलबूल कुल्लवी पट्टी जरी सहित
10.	छाता (महिला व पुरुष)	वाटर प्रूफ रंग काला
11.	महिला दुपट्टा	रंग महरून एवं काला रेडीमेड बम्बर क्लाय
12.	जुराबें (महिला व पुरुष)	नायलान
13.	टैरीकोट कमीज (महिला व पुरुष)	रंग सिलवर ग्रे

ये निविदाएं दिनांक 07-03-2022 तक अवर सचिव (सचि0प्रशा0प्राप्ति एवं निर्गम-1) के कार्यालय में सील बन्द लिफाफे में सैम्पल सहित पहुंच जानी चाहिए। यदि दिन कोई अवकाश हो तो निविदाएं अगले दिन प्राप्त की जा सकती हैं। प्राप्त निविदाओं को प्रधान सचिव (सचि0प्रशा0) महोदय की उपस्थिति में खोला जाएगा। कपड़े का सैम्पल लगभग एक मीटर का होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का सैम्पल भेजना अनिवार्य होगा। राज्य की अन्य औद्योगिक इक्काईयों की निविदा के साथ पात्रता एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दरें F.O.R. लक्ष्य स्थल तक दर्शानी होगी तथा सामान की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश की प्राप्ति के 40 दिनों के अन्दर करनी अनिवार्य होगी। प्रत्येक इक्काई/फर्म को निविदा के साथ मु 5000/-रु की प्रतिभूति राशि अवर सचिव (सचि0प्रशा0 प्राप्ति एवं निर्गम) के नाम प्रतिश्रुत करवानी होगी जिसे सामान के अन्तिम चयन एवं दर ठेका सम्पाप्त होने पर लौटा दिया जाएगा यदि उनके द्वारा उपलब्ध करवाई वस्तुओं का चयन नहीं होता है।

निविदा देने वाले का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वे चयन के बाद 15 दिनों के अन्दर अपने सैम्पलों को वापिस ले जाएं यदि उनका अनुमोदन नहीं होता है सरकार के पास बिना कारण बताये निविदाओं को स्वीकार करने एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आरक्षित है।


कान्ता शर्मा  
  
 अवर सचिव (प्रा0एवंनि0-1)  
 हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठाकन संख्या:उपरोक्त

शिमला-2 दिनांक

22/02/2021

प्रतिलिपि उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी, NIC, शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रस्तुत निविदा को जन सूचना हेतु वेब साईट पर उपलोड की जाए।

  
(कान्ता शर्मा)

अवर सचिव (प्राप्ति एवं निर्गम- I)  
हिमाचल प्रदेश सरकार